उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 11–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2014 दिनांकः 31 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) को मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0–3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) (वै0 एवं यां0) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या–04 के अनुसार निगम को आबण्टित/तैनात किया जाता हैः–

क0 सं0	नाम/अभि0 संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती का कार्यालय/स्थान/आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह–।। 78029, देवरिया, 29.02.2016	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, अलीगढ़।	मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 एवं मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत), लखनऊ
2.	श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी 78033, गोरखपुर, 31.03.2014	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, रायबरेली।	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ
3.	श्री देवेन्द्र सिंह 78036, इलाहाबाद, 30.09.2014	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल वि0वि0नि0लि0, आगरा।	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा
4.	श्री अमरेश राय 78042, गाजीपुर, 31.03.2015	अधीक्षण अभियन्ता, केस्को लिमिटेड, कानपुर।	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा

2– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3– आवंटित अधिकारियों की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा ।

4– उपर्युक्त प्रोन्नत/स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6– उपरोक्त अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उन्हें उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताक्रम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावितत हो जाएगा।

7– उपरोक्त आदेश दिनांक 01.02.2014 अथवा कार्यभार ग्रहण करनें का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

31/1/2014

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 11–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।

3– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव ।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।

5– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

6– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

7– अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

8– सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

31/1/2014

(प्रफुल्ल चन्द्र पन्त)

उप सचिव